दिनांक–21.07.2023 को मुख्य सचिव–सह–अध्यक्ष, राज्य कार्यकारिणी समिति (State Executive Committee) की अध्यक्षता में सम्पन्न राज्य कार्यकारिणी समिति के बैठक की कार्यवाही :

1. श्री सुखदेव सिंह, मुख्य सचिव, झारखण्ड।	–	अध्यक्ष
2. श्री अरूण कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची।	–	सदस्य
3. श्री अविनाश कुमार, अपर मुख्य सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची	–	सदस्य
4. श्री अजय कुमार सिंह, प्रधान सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची।	–	सदस्य
5. अमिताभ कौशल, सचिव, आपदा प्रबंधन प्रभाग, झारखण्ड, राँची।	–	सदस्य सचिव
6. श्री अबुबक्कर सिद्दीख पी०, सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची।	–	आमंत्रित सदस्य
7. श्री वाई० एस० रमेश, समादेष्टा, राज्य आपदा मोचन बल, झारखण्ड, राँची।	–	आमंत्रित सदस्य

निर्णय :–1

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार के पत्रांक–16/11/2021-RR दिनांक–11.09.2021 द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश एवं गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग), भारत सरकार के पत्रांक–33-04/2020-NDM-I, दिनांक–25.09.2021 द्वारा निर्गत मद एवं मानदण्ड के परिप्रेक्ष्य में कोविड–19 के संक्रमण से प्रति मृतक के लिये निर्धारित 50,000/– रुपये की दर से अनुग्रह अनुदान भुगतान हेतु जिलों को उनसे प्राप्त अधियाचना के आलोक में उनके नाम के सामने अंकित राशि को मुख्यशीर्ष–2245 के सुसंगत शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में उक्त शीर्ष में उपबंधित राशि से जिलों को उनके नाम के सामने अंकित राशि उपलब्ध कराने पर सहमति प्रदान की गई।

क्र०सं०	जिला	पत्रांक / दिनांक	स्वीकृत राशि
1	2	3	4
1.	खूँटी	155 / 15.03.2023	50,000
2.	पलामू	09 / 06.01.2023	9,00,000
3.	साहेबगंज	27 / 30.01.2023	6,50,000
4.	पाकुड़	343 / 01.03.2023	3,00,000
		757 / 23.05.2023	5,00,000
5.	देवघर	710 / 28.04.2023	15,00,000
6.	हजारीबाग	1754 / 22.05.2023	25,00,000
7.	रामगढ़	716 / 31.05.2023	20,00,000
8.	कोडरमा	262 / 16.02.2023	12,50,000
		कुल योग –	96,50,000

निर्णय :– 02

विभागीय संकल्प सं0–1055 दिनांक 11.09.2015 के आलोक में राज्य की घोषित विशिष्ट स्थानीय आपदा– **वज्रपात** से मृत/घायल व्यक्ति तथा पशु के Replacement हेतु आश्रित/लाभुक को अनुग्रह भुगतान हेतु जिलों से प्राप्त अधियाचना के आलोक में उनके नाम के सामने अंकित राशि को गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग), भारत सरकार के पत्रांक–33-03/2020-NDM-I(Vol-II) दिनांक–10.10.2022 द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि हेतु निर्गत मद एवं मानदण्ड में वर्णित प्रावधानानुसार मुख्यशीर्ष–2245 के सुसंगत शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में उपबंधित राशि से जिलों को उनके नाम के सामने अंकित राशि उपलब्ध कराने पर सहमति प्रदान की गई।

क्र०सं०	जिला का नाम	पत्रांक / दिनांक	स्वीकृत राशि
1	2	3	4
1.	राँची	256 / 24.04.2023	1,00,00,000
2.	खूँटी	अप्राप्त	40,00,000
3.	लोहरदगा	602 / 01.06.2023	40,00,000
4.	गुमला	824 / 10.05.2023	75,00,000
5.	सिमडेगा	858 / 30.05.2023	50,00,000
6.	लातेहार	अप्राप्त	40,00,000
7.	पलामू	67 / 13.03.2023	28,36,000
8.	गढ़वा	155 / 23.05.2023	40,00,000
9.	पश्चिमी सिंहभूम	756 / 15.05.2023	45,00,000
10.	सरायकेला–खरसावाँ	991 / 16.05.2023	50,00,000
11.	पूर्वी सिंहभूम	अप्राप्त	70,00,000
12.	दुमका	अप्राप्त	50,00,000
13.	जामताड़ा	237 / 27.03.2023 322 / 12.05.2023	40,00,000
14.	साहेबगंज	127 / 25.04.2023	45,00,000
15.	पाकुड़	757 / 23.05.2023	25,00,000
16.	गोड्डा	174 / 23.05.2023	35,00,000
17.	देवघर	30 / 11.03.2023 54 / 11.05.2023 710 / 28.04.2023	50,00,000

18.	हजारीबाग	1754 / 22.05.2023	50,00,000
19.	रामगढ़	1479 / 16.09.2022 716 / 31.05.2023	40,00,000
20.	चतरा	973 / 31.05.2023	40,00,000
21.	कोडरमा	449 / 16.03.2023	3,30,000
22.	गिरिडीह	1202 / 16.05.2023	50,00,000
23.	धनबाद	अप्राप्त	40,00,000
24.	बोकारो	1063 / 15.05.2023	55,00,000
		कुल योग –	11,01,66,000

निर्णय :– 03

विभागीय संकल्प सं०–969 दिनांक–25.10.2018, संकल्प संख्या–184, दिनांक–13.03.2021 एवं संकल्प–186, दिनांक–06.03.2023 के आलोक में राज्य की विशिष्ट स्थानीय आपदा– अतिवृष्टि (सामान्य से अधिक वर्षा) से होनेवाले जानमाल की क्षति, सर्पदंश, खनन् जनित आपदा, रेडियेशन संबंधी आपदा, पानी में डूबने, भगदड़ एवं गैस रिसाव तथा सड़क दुर्घटना से मृत व्यक्ति के आश्रित/हकदार के निमित्त अनुग्रह अनुदान के भुगतान हेतु जिलों से प्राप्त अधियाचना के आलोक में उनके नाम के सामने अंकित राशि को मुख्यशीर्ष–2245 के सुसंगत शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में उपबंधित राशि से जिलों को उनके नाम के सामने अंकित राशि उपलब्ध कराने पर सहमति प्रदान की गई।

क्र०सं०	जिला का नाम	पत्रांक / दिनांक	स्वीकृत राशि
1	2	3	4
1.	राँची	256 / 24.04.2023	75,00,000
2.	खूँटी	154 / 15.03.2023	5,00,000
3.	लोहरदगा	602 / 01.06.2023	80,00,000
4.	गुमला	860 / 17.05.2023	1,00,00,000
5.	सिमडेगा	858(ii) / 30.05.2023	1,50,00,000
6.	लातेहार	761 / 26.05.2023	85,00,000
7.	पलामू	115 / 15.05.2023	1,00,00,000
8.	गढ़वा	155 / 23.05.2023	50,00,000
9.	पश्चिमी सिंहभूम	756(B) / 15.05.2023	75,00,000
10.	सरायकेला	991 / 16.05.2023	70,00,000
11.	पूर्वी सिंहभूम	686 / 05.04.2023	28,00,000
12.	दुमका	112 / 13.05.2023	1,00,00,000
13.	जामताड़ा	235 / 27.03.2023 237 / 27.03.2023	17,00,000
14.	साहेबगंज	127 / 25.04.2023	1,00,00,000
15.	पाकुड़	757 / 23.05.2023	40,00,000
16.	गोड्डा	174 / 23.05.2023	80,00,000
17.	देवघर	710 / 28.04.2023	40,00,000
18.	हजारीबाग	1754 / 22.05.2023	1,00,00,000
19.	रामगढ़	716 / 31.05.2023	80,00,000

20.	कोडरमा	768 / 31.05.2023	50,00,000
21.	गिरिडीह	1202 / 16.05.2023	80,00,000
22.	धनबाद	1921 / 31.05.2023	1,00,00,000
23.	बोकारो	1063 / 15.05.2023	1,00,00,000
		कुल योग :	17,05,00,000

निर्णय :– 04

भारत सरकार द्वारा चिन्हित प्राकृतिक आपदाओं से हुए क्षति के संदर्भ में जिलों से प्राप्त अधियाचना के आलोक में उनके नाम के सामने अंकित राशि को गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन प्रभाग), भारत सरकार के पत्रांक–33-03/2020- NDM-I(Vol-II) दिनांक–10.10.2022 द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि हेतु निर्गत मद एवं मानदण्ड में वर्णित प्रावधानानुसार मुख्यशीर्ष–2245 के सुसंगत शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में उपबंधित राशि से जिलों को उनके नाम के सामने अंकित राशि उपलब्ध कराने पर सहमति प्रदान की गई।

(I) प्राकृतिक आपदा– बाढ़, चक्रवात आदि (अग्निकाण्ड सहित) से संतप्त परिवार हेतु :–

क्र०सं०	जिला का नाम	पत्रांक / दिनांक	स्वीकृत राशि
1	2	3	4
1	राँची	256 / 24.04.2023	8,00,000
2	खूँटी	अप्राप्त	4,00,000
3	लोहरदगा	अप्राप्त	4,00,000
4	गुमला	अप्राप्त	8,00,000
5	सिमडेगा	884(ii) / 06.06.2023	8,00,000
6	लातेहार	762 / 26.05.2023	4,00,000
7	पलामू	111 / 10.05.2023	8,00,000
8	गढ़वा	अप्राप्त	8,00,000
9	पश्चिमी सिंहभूम	757(B) / 15.05.2023	12,00,000
10	सरायकेला–खरसावाँ	1168 / 07.06.2023	20,00,000
11	पूर्वी सिंहभूम	686 / 05.04.2023	4,00,000
12	दुमका	अप्राप्त	8,00,000
13	जामताड़ा	अप्राप्त	4,00,000
14	साहेबगंज	127 / 25.04.2023	24,00,000
15	पाकुड़	757 / 23.05.2023	16,00,000
16	गोड्डा	अप्राप्त	8,00,000
17	देवघर	अप्राप्त	8,00,000
18	हजारीबाग	1754 / 22.05.2023	16,00,000
19	रामगढ़	अप्राप्त	4,00,000
20	चतरा	990 / 02.06.2023	20,00,000
21	कोडरमा	767 / 31.05.2023	32,00,000
22	गिरिडीह	1259 / 20.05.2023	20,00,000
23	धनबाद	1920 / 31.05.2023	40,00,000
24	बोकारो	अप्राप्त	8,00,000
		कुल योग :	2,96,00,000

(II) प्राकृतिक आपदा – बाढ़, चक्रवात, ओलावृष्टि (अग्निकाण्ड सहित) से क्षतिग्रस्त फसल हेतु प्रभावित कृषकों को कृषि इनपुट अनुदान हेतु :–

क्र० सं०	जिला का नाम	पत्रांक / दिनांक	स्वीकृत राशि
1	2	3	5
1.	राँची	256 / 24.04.2023	10,00,000
2.	खूँटी	235 / 13.05.2023	5,00,000
3.	लोहरदगा	अप्राप्त	2,00,000
4.	गुमला	अप्राप्त	2,00,000
5.	सिमडेगा	अप्राप्त	2,00,000
6.	लातेहार	762 / 26.05.2023	2,00,000
7.	पलामू	111 / 10.05.2023	2,00,000
8.	गढ़वा	अप्राप्त	5,00,000
9.	पश्चिमी सिंहभूम	757(B) / 15.05.2023	10,00,000
10.	सरायकेला–खरसावाँ	1168 / 07.06.2023	10,00,000
11.	पूर्वी सिंहभूम	अप्राप्त	10,00,000
12.	दुमका	अप्राप्त	10,00,000
13.	जामताड़ा	अप्राप्त	2,00,000
14.	साहेबगंज	127 / 25.04.2023	50,00,000
15.	पाकुड़	757 / 23.05.2023	5,00,000
16.	गोड्डा	173 / 23.05.2023	2,00,000
17.	देवघर	अप्राप्त	5,00,000
18.	हजारीबाग	अप्राप्त	5,00,000
19.	रामगढ़	716 / 31.05.2023	20,00,000
20.	चतरा	990 / 02.06.2023	4,00,000
21.	कोडरमा	अप्राप्त	2,00,000
22.	गिरिडीह	अप्राप्त	10,00,000
23.	धनबाद	1920 / 31.05.2023	10,00,000
24.	बोकारो	अप्राप्त	5,00,000
		कुल योग –	1,90,00,000

(III) प्राकृतिक आपदा – बाढ़, चक्रवात आदि (अग्निकाण्ड सहित) से क्षतिग्रस्त कपड़ा–बर्तन के लिए अनुग्रह अनुदान हेतु :–

क्र० सं०	जिला का नाम	पत्रांक / दिनांक	स्वीकृत राशि
1.	पश्चिमी सिंहभूम	757(B) / 15.05.2023 44 / 09.01.2023	10,79,600
		कुल योग –	10,79,600

निर्णयः— 05

उपायुक्त, साहेबगंज का पत्रांक—127/आ०, दिनांक—25.04.2023 द्वारा मुख्यशीर्ष—2245 अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023—24 में संभावित आपदाओं पर होने वाले अनुमानित व्यय का आकलन कर अधियाचना समर्पित किया गया है, जो निम्न रूपेण है :—

क्र०सं०	आपदा का प्रकार	स्वीकृत राशि
01.	सूखा राशन एवं अन्य मदों में व्यय हेतु (संभावित बाढ़ 2023 हेतु)	1,00,00,000
02.	पशु चारा/पशु दवा के क्रय हेतु	
03.	नाव भाड़ा/नाविकों का पारिश्रमिक	
04.	मोटर बोट की मरम्मती (06 मोटर बोट) एवं ईंधन की आपूर्ति मद	

अधियाचना प्रस्ताव के क्रमांक—1 के आलोक में 1,00,00,000/— (एक करोड़) रुपये की राशि राज्य आपदा मोचन निधि हेतु निर्गत मार्गदर्शिका एवं मद मानदण्ड में निहित प्रावधानानुसार वित्तीय वर्ष 2023—24 में मुख्य शीर्ष—2245—02—101—02—00—03—23 में उपबंधित राशि 20,00,00,000/— रुपये के अन्तर्गत कुल ₹ 1,00,00,000/— (एक करोड़) की राशि उपलब्ध कराने पर सहमति प्रदान की गई।

निर्णय :— 06

वित्तीय वर्ष 2018—19 में घोषित सुखाड़ के आलोक में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड का पत्रांक—295/SWSM दिनांक—18.03.2023 द्वारा वर्ष 2019—20 में विभागान्तर्गत नलकूपों का पुनर्स्थापन, नलकूपों के सड़े राईजर पाईप बदलकर चालू करने, नलकूपों की साधारण मरम्मती एवं लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजना के मरम्मती एवं रख—रखाव कार्य हेतु मुख्य शीर्ष—2245—प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत/उप मुख्य शीर्ष —01—सूखा/लघुशीर्ष—102—पीने के पानी की पूर्ति/उपशीर्ष—03—ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति हेतु चापाकलों एवं नलकूपों आदि की मरम्मती/विस्तृत शीर्ष—05—निर्माण/43—अनुरक्षण, मरम्मती एवं सुसज्जीकरण (सामग्री) (विपत्र कोड—39-S-2245-01-102-03-00-05-43) से राशि 78,36,42,000/— (अठहत्तर करोड़ छत्तीस लाख बयालीस हजार) रुपये मात्र आवंटित की गई थी। अल्पावधि के कारण संगत वित्तीय वर्ष में पूर्ण राशि व्यय नहीं होने के कारण राशि 3.8787296 करोड़ रुपये प्रत्यर्पित कर दी गई।

वर्तमान में पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल दुमका—01 अंतर्गत राशि 30.44387 लाख रुपये लंबित भुगतान हेतु संवेदक के द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में वाद संख्या—W.P(C) 391/2022, "माधुरी देवी बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य" दायर की गई है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा वादी को नियमानुसार भुगतान करने संबंधी न्यायादेश पारित किया गया है।

उक्त के संदर्भ में सभी प्रमण्डलों से वित्तीय वर्ष 2019—20 में संगत कार्य के विरूद्ध बकाये की विवरणी निम्नवत् है :—

क्र०सं०	प्रमण्डल का नाम	स्वीकृत राशि
1.	मेदिनीनगर	3,53,591
2.	पाकुड़	14,82,834
3.	मधुपुर	22,41,901
4.	दुमका—01	87,01,996
	कुल योग :	1,27,80,322

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड द्वारा उक्त बकाया राशि– 1.2780322 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने हेतु अधियाचना प्रस्ताव समर्पित किया गया है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड को बकाया ₹ 1,27,80,322 (एक करोड़ सत्ताईस लाख अस्सी हजार तीन सौ बाईस) की राशि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के मुख्यशीर्ष–2245, उपमुख्यशीर्ष–01, उपशीर्ष–03–ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति हेतु चापाकलों एवं नलकूपों आदि की मरम्मती (विपत्र कोड–39-S-2245-01-102-03-00-05-43) में उपबंधित राशि 20,00,00,000/– (बीस करोड़) रुपये से उपलब्ध करायी जायेगी।

निर्णय :– 07

(क) जिला दण्डाधिकारी–सह–उपायुक्त का कार्यालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा का पत्रांक–3043(बी)/रा०, दिनांक–23.12.2022 में अंकित है कि अंचल अधिकारियों से चक्रवातीय तूफान "यास" (YAAS) से हुए क्षतिग्रस्त कपड़ा–बर्तन हेतु कुल 43,49,200/– (तैंतालीस लाख उनचास हजार दो सौ) रुपये प्रभावित व्यक्तियों को अनुग्रह अनुदान राशि भुगतान से संबंधित अभिलेख प्राप्त है। आवंटन के अभाव में प्रभावितों को अनुग्रह अनुदान राशि भुगतान हेतु लंबित है।

अतः चक्रवातीय तूफान "यास" (YAAS) से हुए क्षतिग्रस्त कपड़ा–बर्तन के लिए प्रभावित व्यक्तियों को अनुग्रह अनुदान राशि भुगतान हेतु अधियाचित कुल 43,49,200/– (तैंतालीस लाख उनचास हजार दो सौ) रुपये उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के मुख्यशीर्ष–2245, उपमुख्यशीर्ष–02, उपशीर्ष–04–प्रभावितों को कपड़ा–बर्तन का मुफ्त वितरण (विपत्र कोड–39-S-2245-02-101-04-00-06-49) में उपबंधित राशि 3,00,00,000/– (तीन करोड़) रुपये से उपलब्ध करायी जायेगी।

(ख) उपायुक्त, हजारीबाग का पत्रांक–1754 दिनांक–22.05.2023 द्वारा चक्रवातीय तूफान "YAAS" से हुए मकान क्षति के निमित्त राशि–95,100/– (पंचानबे हजार एक सौ) रुपये उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के मुख्यशीर्ष–2245, उपमुख्यशीर्ष–02, उपशीर्ष–02–बाढ़, चक्रवात, ओलावृष्टि एवं अन्य प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मती/पुनर्स्थापना (विपत्र कोड–39-S-2245-02-113-02-00-05-43) में उपबंधित राशि 30,00,00,000/- (तीस करोड़) रुपये से उपलब्ध करायी जायेगी।

निर्णय :– 08

समादेष्टा, राज्य आपदा मोचन बल, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–95/गो०, दिनांक–12.05.2023 द्वारा झारखण्ड राज्य आपदा मोचन बल हेतु आपदा के समय राहत/बचाव कार्यों में उपयोगी उपकरणों/सामग्रियों के क्रय हेतु निम्नवत् राशि की माँग की गई है :–

Sl No	Items	Sanctioned Amount
01.	Cost of MFR Kit	2,47,10,000
02.	Cost of Medical Equipment	
03.	Cost of CSSR Equipment	
	Total -	2,47,10,000

राज्य आपदा मोचन बल के लिए उक्त वर्णित आवश्यक उपकरणों के क्रय हेतु राज्य आपदा मोचन निधि हेतु निर्गत मार्गदर्शिका तथा मद एवं मानदण्ड में निहित प्रावधानानुसार वित्तीय वर्ष 2023–24 के बजट शीर्ष के मुख्य शीर्ष–2245–80–102–02–00–03–23 के अन्तर्गत ₹ 2,47,10,000/– (दो करोड़ सैंतालीस लाख दस हजार) की राशि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई।

निर्णय :– 09

समादेष्टा, राज्य आपदा मोचन बल, झारखण्ड, राँची का पत्रांक–116/गो०, दिनांक–21.07.2023 द्वारा वाहनों के क्रय हेतु (A + B) कुल ₹ 2,10,90,000/– (दो करोड़ दस लाख नब्बे हजार) की राशि की मांग निम्न रूपेण किया गया है :–

(A) राज्य आपदा मोचन बल (State Disaster Response Force) के टीम हेतु आवश्यक वाहनों की आवश्यकता :–

क्र० सं०	वाहन का प्रकार	संख्या	प्रति वाहन का दर	कुल राशि	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6
1	Bolero	1	9,30,000	9,30,000	76,30,000
2	Mini Bus (32 Seater)	1	25,00,000	25,00,000	
3	Truck 709	1	15,00,000	15,00,000	
4	Ambulance	1	18,00,000	18,00,000	
5	Tata Xenon/Yodha	1	9,00,000	9,00,000	
			Total	76,30,000	76,30,000

(B) राज्य आपदा मोचन बल के मुख्यालय के लिए वाहनों की आवश्यकता :–

क्र० सं०	वाहन का प्रकार	संख्या	प्रति वाहन का दर	कुल राशि	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5	6
1	Scorpio	1	16,00,000	16,00,000	1,34,60,000
2	Bolero	2	9,30,000	18,60,000	
3	Bus	1	33,00,000	33,00,000	
4	Mini Bus (32 Seater)	1	25,00,000	25,00,000	
5	Truck 709	1	15,00,000	15,00,000	
6	Ambulance	1	18,00,000	18,00,000	
7	Tata Xenon/Yodha	1	9,00,000	9,00,000	
			Total -	1,34,60,000	1,34,60,000

मुख्य सचिव–सह–अध्यक्ष, राज्य कार्यकारिणी समिति की अध्यक्षता में दिनांक–19.12.2022 को सम्पन्न बैठक के निर्णय–09 के आलोक में राशि का व्यय नहीं किया जा सका। उक्त वर्णित राशि हेतु वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए बजट के मुख्य शीर्ष–2245 प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत अंतर्गत उपशीर्ष–16–वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में क्षमता संवर्द्धन मद (विपत्र कोड–2245-80-101-16-00-03-23) में उपबंधित राशि 10,00,00,000/– के अन्तर्गत ₹ 2,10,90,000/- (दो करोड़ दस लाख नब्बे हजार) की राशि वित्तीय वर्ष 2023–24 में उक्त शीर्ष में उपबंधित राशि से उपलब्ध कराने पर सहमति प्रदान की गई।

निर्णय :– 10

(I) राज्य आपदा मोचन बल के लिए वर्दी एवं लोगो के संबंध में समादेष्टा, राज्य आपदा मोचन बल के पत्रांक–117, दिनांक–21.07.2023 के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई।

(II) झारखण्ड राज्य आपदा मोचन बल के कार्यालय एवं टीम के ठहराव हेतु भवन निर्माण के निमित्त 05 (पाँच) एकड़ भूमि की व्यवस्था किये जाने संबंधी उपायुक्त, राँची से पत्राचार करने के बिन्दु पर सहमति प्रदान की गई।

(III) स्वीकृत बल के आलोक में राज्य आपदा मोचन बल टीम में पर्याप्त संख्या में कॉन्स्टेबल तथा पुलिस उपाधीक्षक की प्रतिनियुक्ति किये जाने हेतु पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड से अनुरोध किये जाने के बिन्दु पर सहमति प्रदान की गई।

निर्णय :– 11

जिला आपदा प्रबंधन योजना को नये सिरे से पुनर्गठित करते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) द्वारा तैयार Model Framework for Disaster Management Plan एवं Explanatary notes for Preparation of District Disaster Management Plan के आधार पर District Disaster Management Plan बनाने संबंधी प्राप्त निदेश के क्रम में विभागीय पत्रांक–81, दिनांक–02.02.2023 आलोक में जिलों द्वारा अधियाचित राशि की विवरणी निम्नवत है :–

क्र० सं०	जिला का नाम	पत्रांक / दिनांक	स्वीकृत राशि
1.	लोहरदगा	190 / 13.02.2023	5,00,000
2.	बोकारो	446 / 22.02.2023	6,00,000
3.	धनबाद	671 / 28.02.2023	5,00,000
4.	लातेहार	320 / 28.02.2023	7,00,000
5.	देवघर	20 / 09.02.2023	5,00,000
6.	पाकुड़	373 / 04.03.2023	2,00,000
7.	पलामू	86 / 27.03.2023	4,00,000
		कुल योग –	34,00,000

जिला आपदा प्रबंधन योजना को नये सिरे से पुनर्गठित करने हेतु जिलों द्वारा अधियाचित राशि का आवंटन वित्तीय वर्ष 2023–24 में राज्य आपदा मोचन निधि के सुसंगत बजट शीर्ष (विपत्र कोड–2245-80-102-01-00-07-59) के अन्तर्गत उक्त राशि को स्वीकृत करने पर सहमति प्रदान की गई।

निर्णय :– 12

राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र (SEOC), राँची एवं जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्र (DEOC), धनबाद, देवघर एवं पूर्वी सिंहभूम में बाह्य स्रोत से कुल 04 (चार) तकनीकी सहायक कार्यरत हैं। वित्तीय वर्ष 2023–24 (अप्रैल, 2023 से मार्च, 2024 तक) के लिए इन कर्मियों के अवधि विस्तार संबंधित एजेंसी के माध्यम से किये जाने के फलस्वरूप ₹ 15,89,100/– का व्यय सम्भावित है।

उक्त 04 (चार) तकनीकी सहायकों को वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए देय मानदेय एवं माह सितम्बर, 2022 से मार्च, 2023 के लिए देय वेतन वृद्धि की बकाया राशि का भुगतान वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए मुख्य शीर्ष–2245 के क्षमता संवर्द्धन मद (विपत्र कोड–2245-80-101-16-00-03-29) में अनुपूरक बजट के माध्यम से (प्रस्तावित) प्राप्त बजट के उपबंधित राशि के अन्तर्गत ₹ 15,89,100/- (पन्द्रह लाख नवासी हजार एक सौ) की राशि स्वीकृत करने पर सहमति प्रदान की गई।

निर्णय :– 13

राज्य आपदा मोचन निधि (State Disaster Response Fund) की अखर्चित राशि जो "लोक लेखा 8121" में पड़ी हुई है, पर विचार–विमर्श किया गया। विचारोपरान्त राष्ट्रीयकृत बैंकों में अखर्चित राशि को निवेश किए जाने की सहमति प्रदान की गई।

निर्णय :– 14

झारखण्ड राज्य में आँधी–तूफान तथा ग्रीष्म लहर (Heat Wave) से हुए/सम्भावित जानमाल की क्षति को देखते हुए आँधी–तूफान तथा ग्रीष्म लहर (Heat Wave) को राज्य की विशिष्ट स्थानीय आपदा के अन्तर्गत आपदा घोषित किये जाने के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई।

धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह०/–	ह०/–	ह०/–	ह०/–	ह०/–
(अमिताभ कौशल) सचिव, आपदा प्रबंधन प्रभाग, झारखण्ड, राँची।	(अजय कुमार सिंह) प्रधान सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची।	(अविनाश कुमार) अपर मुख्य सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची।	(अरूण कुमार सिंह) अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची।	(सुखदेव सिंह) मुख्य सचिव, झारखण्ड।

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग
(आपदा प्रबंधन प्रभाग)

ज्ञापांकः–05/अधियाचना (बैठक)–16/2021–...627.../**आ०प्र०,** **राँची, दिनांक–**27.7.2023

प्रतिलिपिः– माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, झारखण्ड, राँची/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची/अपर मुख्य सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची/समादेष्टा, राज्य आपदा मोचन बल, झारखण्ड, राँची/सभी उपायुक्त, झारखण्ड/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–09 (बजट प्रशाखा) एवं अन्य संबंधित प्रशाखा, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

27/7/2023
(विजय कुमार)
सरकार के अवर सचिव।